पंजाब सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

संख्या 5/58/2002/2एचबी/4630 **दिनांक 11 अगस्त, 2005**

पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के विकास को सुगम बनाने के लिए निम्नानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति तैयार की है :

1. प्रस्तावना

भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की घोषणा की है, जिनको टैरिफ तथा व्यापार प्रचालनों के लिए विदेशी क्षेत्र के रूप में समझा जाता है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास से राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

अत: पंजाब सरकार राज्य में एसईजेड की स्थापना में सहायता प्रदान करना चाहती है। इस प्रयोजनार्थ, यह एसईजेड नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया है ताकि पंजाब राज्य में एसईजेड की स्थापना, प्रचालन तथा संपोषणीयता के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की जा सके।

2. उद्देश्य

पंजाब सरकार ने ऐसे क्षेत्रों जहां पंजाब को लागत एवं प्रतियोगिता की दृष्टि से लाभ प्राप्त है, में विशेष बल देने के उद्देश्य से मार्च, 2003 में नई औद्योगिक नीति अधिसूचित की थी। अब इसलिए ऐसे उद्योगों के विकास को और बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सं. एफ-2(1)/3/2001-ईपीजेड; दिनांक 24 जनवरी, 2002 के तहत यथा अधिसूचित तथा समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में उत्पाद्र विशिष्ट तथा बहु-उत्पाद एसईजेड के विकास को प्रोत्साहित करेगी।

3. परिभाषाएं

इन नीति में, जब तक संदर्भ या विषय के प्रतिकूल न हो :

- **(क) 'नीति' का अभिप्राय पंजाब एसईजेड नीति से है।**
- **(ख) 'प्राधिकरण' का अभिप्राय एसईजेड नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए इस नीति के तहत गठित प्राधिकरण से है।**

(ग) 'बोर्ड' का अभिप्राय भारत सरकार की एसईजेड योजना के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एसईजेड योजना बोर्ड से है।

(घ) 'समिति' का अभिप्राय इस नीति के तहत गठित एकल खिड़की समिति से है।

(ङ) 'विकासक' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के निकाय, कंपनी, फर्म या ऐसे अन्य निजी या सरकारी उपक्रम से है जो एसईजेड में संपूर्ण अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं या उसके किसी भाग का विकास करता है, निर्माण करता है, डिजाइन करता है, आयोजन करता है, संवर्धन करता है, प्रचालन करता है, अनुरक्षण करता है और/या प्रबंधन करता है।

(च) 'विकास आयुक्त' का अभिप्राय एसईजेड पर भारत सरकार की नीति के तहत भारत सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी से है।

(छ) 'जीओआई' का अभिप्राय भारत सरकार से है।

(ज) 'जीओपी' का अभिप्राय पंजाब सरकार से है।

(झ) 'यूनिट' का अभिप्राय ऐसी यूनिट / उपक्रम से है जो अपने अनुमोदित व्यवसाय / औद्योगिक उत्पादन की गतिविधियों के संचालन के लिए एसईजेड के अंदर स्थान का अधिभोक्ता है।

4. एकल खिड़की क्लीयरेंस

पंजाब सरकार निम्नलिखित कदम उठाकर एसईजेड से संबंधित विनियामक रूपरेखा का उदार बनाएगी :

(क) अधिकांश स्वीकृतियों को समवत स्वीकृति मार्ग के तहत लाया जाएगा, जिसका अभिप्राय यह है कि यदि निर्धारित समय सूची के अंदर सवीकृति प्रदान नहीं की जाती है, तो यह समझा जाएगा कि वह स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ख) अन्य मामलों के संबंध में, स्वीकृति इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एकल खिड़की समिति द्वारा एकल बिंदु पर प्रदान की जाएगी।

5. पर्यावरण

एसईजेड के अंदर यूनिटों एवं गतिविधियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षित एनओसी, सहमति तथा अन्य स्वीकृति समयबद्ध ढंग से प्रदान की जाएगी। तथापि, जो गतिविधियां / परियोजनाएं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग की 1994 की अधिसूचना जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के तहत अपेक्षित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के दायरे में आती हैं उनको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अथवा किसी ऐसे प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी जिसको भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

6. विद्युत

एसईजेड के विकासक को एसईजेड के अंदर उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित एसईजेड के लिए विद्युत के समर्पित प्रावधान के लिए स्वतंत्र विद्युत संयंत्र स्थापित करने की आजादी होगी। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के ग्रिड से विद्युत प्राप्त करने के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी का विकल्प भी किसी स्टैंडबाई प्रभार के बगैर 'भुगतान करो और प्रयोग करो' के आधार पर उपलब्ध होगा।

7. जलापूर्ति

एसईजेड के विकासक को एसईजेड के अंदर जल के निष्कर्षण, शोधन, पारेषण और वितरण के लिए प्रणाली एवं सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति होगी, परंतु यह कि इस संबंध में लागू मानकों का पूर्णत: पालन एवं अनुपालन करना होगा। विकासक को एसईजेड के अंदर पानी की आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारित करने एवं वसूल करने की भी अनुमति होगी। विकासक को समुचित प्रभारों के भुगतान पर एसईजेड के अंदर ऐसी अवसंरचना प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार के संबंधित विभाग से अनुरोध करने की आजादी होगी।

परंतु यह कि एसईजेड के अंदर भौमजल / भूपृष्ठ जल का प्रयोग राज्य तथा राष्ट्रीय जलनीति के अधीन होगा।

8. बिक्री कर, लेवी, उपकर तथा ड्यूटी

एसईजेड की सभी यूनिटों तथा विकासकों को निम्नलिखित करों के भुगतान से छूट होगी :

(i) **बिक्री कर / वैट**

(ii) **क्रय कर**

(iii) **पथ कर**

(iv) **पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से खरीदी गई तथा एसईजेड के अंदर उपभोग के लिए विद्युत पर विद्युत शुल्क। विद्युत शुल्क में छूट बुनियादी विद्युत शुल्क के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी। एसईजेड यूनिटों द्वारा सामाजिक उपकर के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।**

(v) **एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक द्वारा भूमि तथा एसईजेड में भूमि / भूखंड के क्रय पर स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क। यह छूट 6 प्रतिशत बुनियादी स्टांप शुल्क तक सीमित होगी, जबकि क्षेत्र जहां यह लागू है, में समाज कल्याण निधि के लिए 3 प्रतिशत अधिभार प्रभार्य होगा।**

(vi) **संपत्ति / गृह कर**

(vii) **शिक्षा / अवसंरचना / कोई अन्य उपकर।**

9. श्रम विनियम

(क) श्रम आयुक्त, पंजाब सरकार की शक्तियां एसईजेड के संबंध में इस प्रकार नियुक्त विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित की जाएंगी।

(ख) श्रम विभाग की योजना के तहत अधिसूचित श्रम कानूनों के संबंध में एसईजेड में यूनिटों द्वारा स्वयं प्रमाणन की प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा।

(ग) एसईजेड में स्थापित सभी यूनिटों तथा अन्य स्थापनाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत 'पब्लिक यूटिलिटि सर्विस' के रूप में घोषित किया जाएगा।

10. निरीक्षण

पंजाब सरकार के किसी विभाग / एजेंसी का कोई भी प्राधिकारी / प्रतिनिधि निरीक्षण के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए एसईजेड के विकास आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बगैर कोई भौतिक निरीक्षण नहीं करेगा।

11. कानून व्यवस्था

पंजाब सरकार तथा एसईजेड का विकासक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसईजेड के अंदर तथा आसपास उपयुक्त तथा अनन्य व्यवस्था करेंगे।

12. एसईजेड का प्रबंधन

(क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एसईजेड तथा इसके अंदर आने वाले नामित क्षेत्र पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(क्यू) के प्रावधानों के तहत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित करने के लिए विचार किया जाएगा और ऐसा घोषित होने पर एसईजेड तथा नामित क्षेत्र के विकास, प्रचालन, प्रबंधन तथा अनुरक्षण के लिए पंजाब सरकार द्वारा एक टाउनशिप प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

(ख) विकासक एसईजेड की सीमाएं निर्धारित करने के लिए सारवान चारदीवारी खड़ी करेगा।

13. प्रभार लगाना

एसईजेड के अंदर कोई नागरिक सुविधा प्रदान करने, अनुरक्षित करने या जारी रखने के लिए विकासक किसी साइट या भवन के अधिभोक्ता पर तर्कसंगत प्रभार लगा सकता है जो आवश्यक समझा जाएगा।

14. एकल खिड़की समिति

एसईजेड के विकास आयुक्त एकल खिड़की समिति के अध्यक्ष होंगे तथा इसमें उत्पाद शुल्क एवं कराधान, श्रम, स्थानीय शासन, पर्यावरण, पीएसईबी, उद्योग आदि जैसे सभी विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। एसईजेड के विकासक तथा उनमें स्थित यूनिटें पंजाब सरकार के किसी विभाग / एजेंसी के संबंध में अनुमोदन / स्वीकृति / अनुज्ञप्ति के लिए अपना आवेदन इस समिति को प्रस्तुत करेंगी।

15. एसएसआई यूनिटों का पंजीकरण

एसईजेड में एसएसआई यूनिटों का अनंतिम एवं स्थाई पंजीकरण एसईजेड के विकास आयुक्त या उनके अधीन काम करने वाले किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तथापि, संबंधित अधिकारी मासिक आधार पर संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को सभी ब्यौरे प्रदान करेगा।

16. समीक्षा समिति

पंजाब सरकार एसईजेड की स्थापना में सहायता प्रदान करने तथा एसईजेड के संबंध में समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन करेगी। समिति की संरचना इस प्रकार होंगी :

(क) मुख्य सचिव — अध्यक्ष
(ख) प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
(ग) प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग
(घ) वित्त आयुक्त, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग
(ङ) सचिव, विद्युत विभाग
(च) संबंधित एसईजेड का विकास आयुक्त
(छ) उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक
(ज) प्रबंध निदेशक, पीएसआईईसी

दिनांक : 10 अगस्त, 2005

हस्ता/-
(एस सी अग्रवाल)
प्रधान सचिव
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
पंजाब